संख्याः 3101/सात/23-ख/04

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून, दिनांकः 14 जनवरी, 2005

औद्योगिक विकास अनुभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2004-05 के आयोजनागत योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 532/लेखा/आयो0 बजट/2004-05, दिनांकः 04.11.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय द्वारा चलायी जा रही आयोनागत पक्ष की योजनायें यथा खनिज अन्वेषण, खनन प्रशासन, भू-तकनीकी सर्वेक्षण तथा अन्य को सूचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रूपये 28,00,000/- (रू0 अटठाईस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित मदों में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमॉक	मद का नाम	धनराशि
1-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000
2-	26-मशीने साज-सज्जा उपकरण	20,00,000
3-	42-अन्य व्यय	2,00,000
	योग :	**28,00,000**

2- जिन उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव है, वे विगत वर्ष भी क्रय किये गये हैं, अतः विगत दो वर्षों में क्रय किये गये उपकरणों का वर्षवार विवरण, व अब क्रय किये जा रहे विवरण का तालिकावार विवरण दिया जायेगा। निष्प्रयोज्य उपकरणों का विवरण एवं उनके निस्तारण की स्थिति एवं अब क्रय किये जाने वाले उपकरणों में ही आवश्यक उपकरणों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उद्योग विभाग की सहमति से ही धनराशि व्यय की जायेगी। इस बात का प्रमाण पत्र भी शासन को दिया जायेगा कि विगत में क्रय किये गये समस्त उपकरण चालू हालत में हैं और प्रयोग में लाये जा रहे हैं। जो उपकरण विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत् पर्याप्त हैं, वे ही क्रय नहीं किये जायेगें।

3— उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि इकोनमी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। प्रश्नगत् उपकरणों के क्रय में बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय हस्तपुस्तिका, डी0जी0एस0 एण्ड डी अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम तथा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही करने के उपरांत शासन को भी अवगत कराया जाये।

4— उक्त उपकरणों को क्रय करते समय क्रय समिति का गठन कर इसमें निविदा आदि के संबंध में समस्त नियमों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। क्रय के उपरांत यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक: 31–03–2005 तक समर्पित कर दिया जायेगा।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक: 31–03–2005 तक करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 की अनुदान संख्या–23 के लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, –आयोजनागत, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान, के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2185 /वित्त अनुभाग–3 दिनांक: 06.01.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 3101/सात/23–ख/04, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3– कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, कार्यालय, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय।
7– वित्त अनुभाग–3।
8– गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।